

राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

विज्ञाप्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट पिटिशन नं० 13029/1985 श्री एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 24.10.2017 को पारित आदेश द्वारा पैटकोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR Region) में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अतः राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों अर्थात् अलवर व भरतपुर जिलों में पैटकोक एवं फर्नेस ऑयल का उपयोग करने वाले उद्योगों को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 01.11.2017 से उपरोक्त ईंधनों का उपयोग कदापि नहीं करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी।

३१.१०.१७
 (आर.के. ग्रोवर)
 शासन सचिव
 पर्यावरण विभाग,
 राजस्थान सरकार